

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 91/2018

दायर दिनांक: 15/06/2018

उनवान

1. बाबूलाल आयु 53 वर्ष पुत्र स्व० मदनलाल
2. दीपक कुमार आयु 47 वर्ष पुत्र स्व० मदनलाल
3. रामभरोसी आयु 50 वर्ष पुत्री स्व० मदनलाल जातियान नाई निवासीगण खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

.....वादीगण

बनाम

1. लटूरलाल आयु 53 वर्ष पुत्र भँवरलाल जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
2. छोटूलाल आयु 50 वर्ष पुत्र भँवरलाल जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
3. पुष्पाबाई आयु 55 वर्ष पुत्री भँवरलाल पत्नी कल्याण जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान हाल निवासी- मुवाखेड़ा तहसील इकलेरा जिला झालावाड़ (राज०)
4. कैलाबाई आयु 60 वर्ष पुत्री भँवरलाल पत्नी छीतरलाल जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान हाल निवासी- खरखड़ा आसन पो० कुन्जेड़ तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
5. राधेश्याम आयु 53 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
6. घींसीबाई आयु 56 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी भैरूलाल निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू हाल निवासी पचोला पो० कामखेड़ा तहसील इकलेरा जिला झालावाड़ (राज०)
7. दिनेश आयु 25 वर्ष पुत्र स्व० सत्यनारायण जाति नाई निवासी बड़वा तहसील अन्ता जिला बारां (राज०)
8. विष्णु आयु 22 वर्ष पुत्र स्व० सत्यनारायण जाति नाई निवासी बड़वा तहसील अन्ता जिला बारां (राज०)
9. चन्द्रप्रकाश आयु 48 वर्ष पुत्र हीरा जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

10. लीलावती आयु 60 वर्ष पुत्री हीरा पत्नी प्रभूलाल जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान हाल बहादूरगंज पो0 चरड़ाना तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
11. बनारसी बाई आयु 58 वर्ष पुत्री हीरा पत्नी द्वारकीलाल जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान हाल निवासी-अमलावदा हाली तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)
12. कलावती आयु 62 वर्ष पुत्री हीरा पत्नी प्रेमनारायण जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान हाल निवासी- प्रेमनगर प्रथम कोटा (राज0)
13. मोत्याबाई आयु 80 वर्ष पत्नी हीरा जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
14. देवकिशन आयु 35 वर्ष पुत्र स्व0 देवीशंकर जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
15. सोनू आयु 32 वर्ष पुत्र स्व0 देवीशंकर जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
16. रामस्वरूप आयु 56 वर्ष पुत्र गोपीलाल जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
17. कमलाबाई आयु 65 वर्ष पुत्री गोपीलाल पत्नी रामभरोस जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान हाल बमोरी पो0 बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
18. भूलीबाई आयु 62 वर्ष पुत्री गोपीलाल पत्नी गोबरीलाल जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान हाल बड़ा सारोला तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज0)
19. चन्दाबाई आयु 60 वर्ष पुत्री गोपीलाल पत्नी रामस्वरूप जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू हाल ग्राम पंचायत भवन के पास सांगोद जिला कोटा (राज0)
20. मनोहर बाई आयु 58 वर्ष पुत्री गोपीलाल पत्नी अशोक कुमार जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान हाल कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)
21. बजरंगलाल आयु 50 वर्ष पुत्र गणेश
22. सियाराम आयु 46 वर्ष पुत्र गणेश
23. राजमल आयु 42 वर्ष पुत्र गणेश जातियान नाई निवासीगण खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

24. गायत्रीबाई आयु 38 वर्ष पुत्री गणेश पत्नी रमेशचन्द जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू हाल पीपल्या तहसील छबड़ा जिला बारां (राज0)
25. कन्याबाई आयु 70 वर्ष पत्नी स्व0 गणेश जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
26. छीतरलाल आयु 60 वर्ष पुत्र लोडूजी जाति नाई निवासी काचरी पो0 काचरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
27. देवकिशन आयु 55 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति ब्राहमण निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
28. शाखा प्रबन्धक महोदय सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बारां जिला बारां
29. शाखा प्रबन्धक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
30. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार महोदय अटरू तहसील अटरू जिला बारां

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 (ए), 188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :-

वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री अमर सिंह कुशवाह। प्रति. क्रम 1, 2, 4, 5, 9, 10, 13 से 17
21 से 23, 25

श्री यशद्युमन सिंह प्रति क्रम 12, 28

श्री हरिशचन्द हाडा प्रति क्रम 29

निर्णय

दिनांक: 07.03.2022

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 (ए), 188 आर टी एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां में पुराना खाता संख्या 8 का ख0न0 170 का रकबा 10 बीघा कल्याण आत्मज भैरू तथा खाता संख्या 111 का ख0न0 171 का रकबा 10 बीघा मदनलाल पुत्र भैरूलाल के तथा खाता संख्या 94 के ख0न0 262 का रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, ख0न0 263 का रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 267 का रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, ख0न0 268 का रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 269 का रकबा 1 बीघा, ख0न0 270 का रकबा 4 बिस्वा, ख0न0 271 का रकबा 12 बिस्वा, ख0न0 272 का रकबा 15 बिस्वा, ख0न0 273 का रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, ख0न0 296 का रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा, ख0न0 303 का रकबा 13 बीघा 3

बिस्वा, ख0न0 304 का रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा, ख0 न0 305 का रकबा 12 बिस्वा, ख0 न0 343 का रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा आराजी कुल किता 14 का रकबा 47 बीघा 10 बिस्वा आराजी अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता थी जिसमें मदन, कल्याण पुत्रान भैरू का हिस्सा 4/10 दर्ज खाता था। जिस पर मदन, कल्याण ने सहकारी भूमि विकास बैंक बारां से ख0न0 170 का रकबा 10 बीघा, ख0न0 171 का रकबा 10 बीघा एवं खाता संख्या 111 का कुल किता 14 का रकबा 47 बीघा 10 बिस्वा में से हिस्सा 1/10 पर 76,00/-रूपये का ऋण लिया था। समय पर ऋण की अदायगी नहीं होने से बैंक द्वारा उक्त भूमि में से नामान्तकरण संख्या 383 दिनांक 08/02/1983 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27/11/1981 के अनुसार ख0न0 170 का रकबा 10 बीघा, ख0न0 171 का रकबा 10 बीघा तथा ख0न0 296 का रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा, ख0न0 303 का रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा, ख0न0 304 का रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा, ख0न0 343 का रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा कुल रकबा 34 बीघा 18 बिस्वा का हिस्सा 1/5 भूमि विकास बैंक बारां के दर्ज खाता हो गई। नकल जमाबन्दी खाता संख्या 8 सम्वत् 2037 से 2040, खाता संख्या 111 सम्वत् 2037 से 2040 की जमाबन्दी तथा खाता संख्या 94 सम्वत् 2037 से 2040 की नकल जमाबन्दी, नकल नामान्तकरण संख्या 383, नकल जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग साथ में संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं।

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी के बाद सेटलमेन्ट नये खाता संख्या 348 का ख0न0 234/1215 का रकबा 0.48 है0, ख0न0 236 का रकबा 1.10 है0, ख0न0 238 का रकबा 1.60 है0, कुल 3 किता का रकबा 3.18 है0, आराजी सहकारी भूमि विकास बैंक बारां के दर्ज खाता हैं जबकि बारां सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा 24/11/1993 को कल्याण, मदन पुत्र भैरू को अंतिम

नोटिस दिया गया कि राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत आपकी भूमि बैंक के पक्ष में क्रय की गई थी अतः भूमि वापसी की प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि की क्रय राशि मय ब्याज कुल राशि 37520/-रूपये जमा करा दें उसकी पालना में कल्याण, मदन द्वारा दिनांक 04/03/1994 को बारां सहकारी भूमि विकास बैंक बारां में 37520/-रूपये जमा करवा दिये गये। तब बैंक द्वारा भूमि को मुक्त करने का नोडयूज प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया परन्तु 3.18 है0 आराजी पर सहकारी भूमि विकास बैंक बारां का नाम नहीं हटाया इसलिए उक्त वर्णित आराजी 3.18 है0 पर कल्याण, मदन के वारिसान वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज किया जावेँ जिसके वादीगण अधिकारी एवं नॉलिशी हैं तथा खाता संख्या 274 का कुल किता 22 का रकबा 7.50 है0 पर मदन, कल्याण का हिस्सा सहकारी

भूमि विकास बैंक बारां के रहन का नोट हटाया जावेँ तथा कल्याण, मदन के वारिसान वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज किया जावेँ जिसके वादीगण अधिकारी एवं नॉलिशी हैं। कल्याण की मृत्यु 17/09/1997 को तथा मदन की मृत्यु 25/06/2004 को हो चुकी हैं। इसलिए उनके वारिसान वादीगण की ओर से यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। नोटिस की प्रति, नोडयूज प्रमाण पत्र, जमा राशि रसीद, नकल जमाबन्दी नवीन खाता संख्या 348, जमाबन्दी खाता संख्या 274 तथा मिलान क्षेत्रफल, कल्याण व मदन के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति साथ में संलग्न हैं।

कल्याण लाओलाद फौत हुआ है जिसके समस्त क्रियाक्रम मदन व मदन के वारिसान बाबूलाल, दीपक सेन द्वारा किये गये तथा कल्याण के हिस्से की आराजी पर मदन व उसकी मृत्यु के बाद मदन के वारिसान बाबूलाल, दीपक सेन का कब्जा काश्त चला आ रहा है। कल्याण के हिस्से की आराजी पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित करने में अन्य सहखातेदारान एवं परिवार के सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं है इसलिए अन्य सहखातेदारान ने कल्याण के हिस्से की आराजी 1/5 सहित मदन, कल्याण के कुल हिस्सा 2/5 पर वादीगण के नाम करने का सहमति पत्र 50/-रूपये के स्टाम्प एवं एक सादा कागज पर दिनांक 19/04/2017 को स्वेच्छा से आलेखित किया है उक्त दस्तावेज नोटेरी पब्लिक से तस्दीक शुदा है। इसलिए खरखड़ा रामलोथान की नकल जमाबन्दी खाता संख्या 275 का कुल किता 4 का रकबा 1.90 है0 में वादीगण को हिस्सा 2/5 का खातेदार कृषक घोषित किया जावेँ तथा खाता संख्या 94 का 1 किता का रकबा 0.30 है0 में भी वादीगण को हिस्सा 2/5 पर खातेदार कृषक घोषित किया जावेँ। नकल जमाबन्दी खाता संख्या 275 व 94 तथा सहमति पत्र की प्रति, ग्राम पंचायत वारिसान प्रमाण पत्र कल्याण, मदन की प्रति साथ में संलग्न हैं।

सहखातेदार कंचन की मृत्यु हो चुकी है परन्तु खाते में नाम दर्ज होने से उसके स्थान पर उसके वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 लटूरलाल , प्रतिवादी क्रम 2 छोटूलाल व मृतक सत्यनारायण के वारिसान प्रतिवादी क्रम 7 दिनेश, प्रतिवादी क्रम 8 विष्णु तथा मृतक देवीशकर के स्थान पर प्रतिवादी क्रम 13 देवकिशन व प्रतिवादी क्रम 14 सोनू को पक्षकार बनाया गया है तथा मृतक पानाबाई के वारिसान को प्रतिवादी क्रम 15 से 19 बनाया गया है। मृतक दाखा बाई के स्थान पर उसका वारिस छीतरलाल प्रतिवादी क्रम 25 बनाया जाकर यह वाद पेश किया गया है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना

सम्भव नहीं हैं। अगर प्रतिवादीगण अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल रहे और वादीगण को अपने कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी से बेदखल कर दिया तो वादीगण को अपने कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी से वंचित होना पड़ेगा जिससे वादीगण को अपरिमित क्षति होगी तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पड़ रहा है जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा वादीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझाना पड़ेगा। अस्तु वाद पत्र की मद नं० 2 में वर्णित आराजी खाता संख्या 348 का कुल किता 3 का रकबा 3.18 है० पर से सहकारी भूमि विकास बैंक बारां का नाम हटाया जाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा खाता संख्या 274 का कुल किता 22 का रकबा 7.50 है० पर मदन, कल्याण के सहकारी भूमि विकास बैंक के रहन का नोट हटाया जावे तथा मदन, कल्याण के हिस्से की आराजी पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा वाद पत्र की मद नं० 3 में वर्णित आराजी में वादीगण को हिस्सा 2/5 का खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा राजस्व अभिलेखों में वादीगण को बतौर खातेदार कृषक नाम दर्ज किया जावे।

यह कि प्रतिवादी क्रम 13 लगायत 19 ने प्रतिवादी क्रम 29 पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई से के०सी०सी० ऋण ले रखा है इसलिए बैंक को प्रतिवादी क्रम 29 बनाया गया है।

वाद खातेदारी की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का होने की वजह से राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से जरिये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 30 आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 04/03/1994 को सहकारी भूमि विकास बैंक का ऋण अदा करने पर भी वादीगण के पिता एवं काका का नाम खाते में दर्ज नहीं रकने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 20/05/2018 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को अपने कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी पर से बेदखल करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने से जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी०पी०सी० का नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया है लेकिन प्रतिवादीगण वादीगण को उनके कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी पर से बेदखल करने पर आमादा है तथा आराजी का बेचान करने की धमकी देने के कारण मामला आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही यह वाद 80(2) सी०पी०सी० के प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।

विवादाग्रस्त आराजी ग्राम खरखड़ा रामलोथान पटवार मण्डल खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद

राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अतः : माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादीगण विनयी है कि डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें कि :-

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नं० 2 में वर्णित आराजी पर से सहकारी भूमि विकास बैंक बारां का नाम हटाया जाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा वाद पत्र की मद० नं० 3 में वर्णित आराजी में वादीगण को हिस्सा 2/5 का खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा राजस्व अभिलेखों में वादीगण को बतौर खातेदार कृषक नाम दर्ज किया जावें।

(ब) यह कि प्रतिवादीगण को इस आशय की आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वादीगण को वाद पत्र की मद नं० 2 व 3 में वर्णित आराजी पर से बेदखल नहीं करें व वादीगण को उनके कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त करने देंवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावें।

(स) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 3, 6, 7, 8, 11, 18, 19, 20, 24, 26, 27, बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 30 द्वारा जवाब पेश नहीं करने के कारण जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी क्रम 1, 2, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25 द्वारा निम्नलिखित इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं. 1 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 2 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 3 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 4 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 5 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 6 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 7 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 8 का विवरण कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 9 का विवरण कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 10 का विवरण कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 11 का विवरण कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 12 का विवरण कानूनी है। अनुतोष वादीगण स्वीकार है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 1, 2, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाने की कृपा करे।

प्रतिवादी क्रम 4, 10, 17 द्वारा निम्नलिखित इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं. 1 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 2 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 3 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 4 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 5 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 6 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 7 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 8 का विवरण कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 9 का विवरण कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 10 का विवरण कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 11 का विवरण कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 12 का विवरण कानूनी है। अनुतोष वादीगण स्वीकार है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 4, 10, 17 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाने की कृपा करे।

प्रतिवादी क्रम 12 द्वारा निम्नलिखित इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं. 1 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 2 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 3 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 4 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 5 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 6 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 7 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 8 का विवरण कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 9 का विवरण कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 10 का विवरण कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 11 का विवरण कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 12 का विवरण कानूनी है। अनुतोष वादीगण स्वीकार है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 12 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाने की कृपा करे।

प्रतिवादी क्रम 28 द्वारा निम्नलिखित जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पर प्रतिवादी क्रम 28 का किसी प्रकार का ऋण बकाया नहीं है। प्रतिवादी क्रम 28 द्वारा मदन, कल्याण पुत्र भैरू जाति नाई निवासी खरखडा रामलोथान का रहन मुक्ति प्रमाण पत्र जारी कर रखा है। अस्तु वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी

रहन मुक्त कर वादीगण के खाते दर्ज करने मे प्रतिवादी क्रम 28 को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर से प्रार्थी का रहन हटाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित करने की कृपा करें।

प्रतिवादी क्रम 29 शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई द्वारा निम्नलिखित जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में आराजी ग्राम व माल खरखडारामलोथान तहसील अटरू जिला बारां मे स्थित होना स्वीकार है, शेष जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 जिस प्रकार लिखी गई है, अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 3 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 जिस प्रकार लिखी गई है, अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 5 जिस प्रकार लिखी गई है, अस्वीकार है। वाद पत्र के मद नं. 6 मे वर्णित तथ्य प्रतिवादी क्रम 13 लगायत 19 द्वारा प्रतिवादी क्रम 29 पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई से ऋण लेना एवं बैंक को पक्षकार बनाया जाना स्वीकार है। इस वजह से जब तक प्रतिवादी क्रम 29 पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई का ऋण मय ब्याज अदा नहीं हो जाता तब तक पक्षकारान माननीय न्यायालय से किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वाद पत्र की मद नं. 7 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 8 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 9 जिस प्रकार लिखी गई है, अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 10 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 11 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 12 कानूनी है। वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष अस्वीकार है।

विशेष-कथन

प्रतिवादी क्रम 13 लगायत 19 द्वारा प्रतिवादी क्रम 29 पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई से के.सी.सी. ऋण ले रखा है। इसलिए जब तक बैंक का समस्त ऋण मय ब्याज अदा नहीं हो जाता तब तक वादीगण माननीय न्यायालय से किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है प्रतिवादी क्रम 29 पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई का ऋण जब तक मय ब्याज अदा नहीं हो जाता तब तक वादीगण को किसी प्रकार की कोई कानूनी सहायता प्रदान नहीं किये जाने की कृपा करें।

प्रतिवादी क्रम 30 द्वारा जवाब दावा पेश न करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw1 से pw2 के शपथ पत्र पेश किये गये तथा रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया। साक्ष्य प्रतिवादी पेश न करने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी बंद किये गये।

3. अभिभाषकगण की बहस सूनी गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि ग्राम खरखडा रामलोथान की खाता संख्या 348 ख0नं0 234/1215 रकबा 0.48 है0, ख0नं0 236 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 238 रकबा 1.60 है0 कुल किता 3 रकबा 3.18 है0 भूमि सहकारी भूमि विकास बैंक बारां के खाते दर्ज है। बैंक प्रक्रिया के तहत बैंक की समस्त राशि मय ब्याज कुल राशि 37520 रूपय जमा करा दिये है। तथा बैंक द्वारा भी भूमि मुक्त कर नोड्यूज प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है कार्यालय सहकारिता मंत्री, राज0 सरकार द्वारा अपने पत्रांक 1088/सह/मं/91 दिनांक 20.03.1991 में स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा दिनांक 30.06.1981 को ही सम्पूर्ण बकाया राशि बैंक को जमा करा दी थी जिसकी पुष्टि बैंक द्वारा भी की जा चुकी है। आगे बहस में कथन किया कि स्वयं प्रतिवादी क्रम 28 ने अपने जवाब दावा में स्वीकार किया है कि प्रति./बैंक का पूरा ऋण जमा (प्रदर्श-18) हो चुका है और प्रति. का **No dues** भी जारी कर दिया है (प्रदर्श-16ए)। अतः सहकारी भूमि विकास बैंक बारां का नाम हटाया जाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। तथा वाद पत्र की क्रम संख्या 3 में कल्याण लाओलाद फौत हुआ है। जिसके क्रियाक्रम मदन व मदन के वारिसान द्वारा किये गये है। मदन के वारिसान बाबूलाल, दीपक सेन का भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। कल्याण की भूमि पर भी वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। यानि मदन व कल्याण के कुल हिस्सा 2/5 पर वादीगण के नाम सहमति पत्र 50 रु के स्टाम्प पर दिनांक 19.04.2017 को स्वेच्छा से आलेखित किया है। इसलिए खरखडा रामलोथान की खाता संख्या 275 किता 4 रकबा 1.90 है0 में वादीगण को 2/5 का खातेदार कृषक घोषित तथा खाता संख्या 94 किता 1 रकबा 0.30 है0 में भी वादीगण को 2/5 हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

4. अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1, 2, 5, 9, 13, 16, 21, 23 व 25 द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब दावे के बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम खरखडा रामलोथान की खाता संख्या 111 किता 14 रकबा 47 रकबा 47 बीघा 10 बिस्वा भूमि में कल्याण व मदन सहखातेदार का हि0 1/5 था जिसमें से 1/10 कल्याण व

मदन द्वारा प्रतिवादी क्रम 28 सहकारी भूमि विकास बैंक बारां से ऋण 7600 लिया गया जो प्रदर्श 12 ए है। सहखातेदार द्वारा ऋण अदायगी नहीं होने से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 27.11.1981 को ख0नं0 170 रकबा 10 बीघा, ख0नं0 171 रकबा 10 बीघा तथा ख0नं0 296 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 303 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा, ख0नं0 304 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 343 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा कुल रकबा 34 बीघा 18 बिस्वा का हि0 1/5 इन्तकाल न 383 दिनांक 8.2.1983 से भूमि विकास बैंक बारां के नाम दर्ज हुई भूमि वापसी की प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि की क्रय राशि मय ब्याज कुल राशि 37520/- रूपये जमा करवा दिये गये तब बैंक द्वारा भूमि मुक्त कर नोड्यूज प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था लेकिन 3.18 है0 भूमि पर सहकारी भूमि विकास बैंक बारां का नाम नहीं हटाया गया प्रतिवादी क्रम 28 शाखा प्रबंधक सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बारां द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसमें मदन कल्याण पुत्र भैरू नाई निवासी खरखडा रामलोथान का रहन मुक्ति प्रमाण पत्र जारी कर रखा है। प्रतिवादी क्रम 28 का रहन का नोट हटाकर खातेदार कृषक घोषित किया जावे। ग्राम खरखडारामलोथान के ख0नं0 275 व खाता संख्या 94 , ख0नं0 109 रकबा 0.30 है0 किता 4 रकबा 1.90 है0 भूमि सहखातेदार वादीगण प्रतिवादी के खाते मे दर्ज है। जिसमें मदन वादीगण के पिता का 1/5 हिस्सा दर्ज है, तथा कल्याण का 1/5 हि0 दर्ज है। कल्याण लाओलाद फौत हुआ है, मदन कल्याण दोनों सगे भाई है। जो प्रदर्श 17 ए से साबित होता है। सहमति पत्र प्रदर्श 24 ए अनुसार भी कल्याण के वारिस वादीगण ही है।

5. ग्राम खरखडा रामलोथान की जमाबन्दी संवत 2037-40 के ख0नं0 170 रकबा 10 बीघा व ख0नं0 171 रकबा 10 बीघा (प्रदर्श-5 व 6), नामान्तरण पंजिका के नामांतरण संख्या 383 दिनांक 08.02.1983 (प्रदर्श-7), जमाबन्दी संवत 2037-40 (प्रदर्श-8) ग्राम खरखडा रामलोथान की भ.प्रबंध विभाग की जमाबन्दी सन् जुलाई 1989 से जुलाई 2009 (प्रदर्श-9) के अवलोकन से एवं भू-प्रबंध के मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि साबिक ख0नं0 170 व 171 पर मृतक खातेदार द्वारा भूमि विकास बैंक बारां से कृषि ऋण ले रखा था। बाद में मृतक खातेदार कल्याण पुत्र भैरू तथा मदनलाल पुत्र भैरू द्वारा कृषि ऋण जमा नहीं कराने पर बैंक द्वारा भूमि नीलामी की जिसमे कोई भी नीलामीदार उपस्थित नहीं होने पर स्वयं भूमि विकास बैंक बारां द्वारा नीलामी में खरीद किया गया था। इसी आधार पर नामा0 संख्या 383 दिनांक 08.02.1983 तस्दीक कर प्रति. क्रम 28 के खाते दर्ज की गई।

प्रतिवादी क्रम 28 के जवाब दावे, मृतक खातेदार कल्याण व मदन पुत्रान द्वारा कृषि ऋण भुगतान की रसीद (प्रदर्श-18), प्रति. 28 द्वारा जारी नो-ड्यूज प्रमाण पत्र दिनांक 27.05.1999 (प्रदर्श-16), प्रति. 28 के रहन मुक्ति प्रमाण पत्र दिनांक 27.11.1999 (प्रदर्श-15) तथा कार्यालय सहकारिता मंत्री के पत्रांक दिनांक 20.03.1991 के आधार पर स्पष्ट है कि मृतक खातेदार मदन व कल्याण पुत्रान भैरू द्वारा हाल ख0नं0 238 रकबा 1.60 है0, ख0नं0 236 रकबा 1.1 है0 तथा ख0नं0 234/1215 रकबा 0.48 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.18 है0 पर पूरे कृषिऋण का भुगतान हो चुका है । अतः मृतक खातेदारी की कानूनी वारिसान के खाते दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। इसी प्रकार ग्राम खरखडा रामलोथान के तात्कालीन खाता संख्या 279 कुल किता 22 कुल रकबा 7.50 है0 (प्रदर्श-2) में मृतक खातेदार मदन, कल्याण पुत्रान भैरूलाल हिस्सा 1/5 पर से भूमि विकास बैंक बारां का रहन का नोट भी हटाया जाना न्यायोचित होगा।

वादीगण द्वारा कार्यालय सहकारिता मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर का पत्रांक/1088/सह/मं/91, जयपुर दिनांक 20.03.1991 पेश किया गया। जिसके अवलोकन से भी जाहिर है कि वादीगण के पिता कल्याण, मदनलाल पुत्र भैरूलाल नाई ग्राम खरखडा रामलोथान द्वारा समस्त बकाया राशि दिनांक 30.06.1981 को जमा करा दी गई थी।

वादीगण द्वारा पेश ग्राम अटरू द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 16.09.2009 (प्रदर्श 17) एवं दिनांक 16.08.2016 (प्रदर्श-20), कल्याण पुत्र भैरू के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 15.06.2009 (प्रदर्श-21), मृतक मदन लाल पुत्र भैरूलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 13.07.2004 (प्रदर्श-22), मृत्यु प्रमाण पत्र (प्रदर्श-24), 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर सहखातेदारों की नोटेराइज्ड सहमति पत्र दिनांक 19.04.2017 (प्रदर्श-24), **pw1** व **pw2** के सशपथ बयान व जिरह आदि के आधार पर स्पष्ट है कि मृतक खातेदार कल्याण पुत्र भैरूलाल लाऔलाद फौत हुआ था जिसका एक मात्र वारिस उसका भाई मदन पुत्र भैरू था। मदन पुत्र भैरू की फौत हो चुका है जिसके कानूनी वारिसान वादीगण है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम खरखडा रामलोथान की कृषि आराजी साबिक ख0नं0 170 एवं 171 हाल ख0नं0 234/1215 रकबा 0.48 है0, ख0नं0 236 रकबा 1.10 है0 व ख0नं0 238 रकबा 1.60 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.18 है0 पर सहकारी भूमि विकास बैंक बारां के स्थान पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाना एवं ख0नं0

72, 103, 104 व 105 कुल किता 4 कुल रकबा 1.90 है0 भूमि पर वादीगण को मृतक खातेदार मदनलाल, कल्याण पुत्र भैरूलाल जाति नाई हिस्सा 2/5 की जगह खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायोचित होगा। अतः वादीगण का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम खरखडा रामलोथान की खाता संख्या 348 ख0नं0 234/1215 रकबा 0.48 है0, ख0नं0 236 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 238 रकबा 1.60 है0 कुल किता 3 रकबा 3.18 है0 पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

ग्राम खरखडा रामलोथान के ख0नं0 72, 103, 104 व 105 कुल किता 4 कुल रकबा 1.90 है0 वादीगण को हिस्सा 2/5 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी न करें।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 91 / 2018

उनवान

1. बाबूलाल आयु 53 वर्ष पुत्र स्व0 मदनलाल
2. दीपक कुमार आयु 47 वर्ष पुत्र स्व0 मदनलाल
3. रामभरोसी आयु 50 वर्ष पुत्री स्व0 मदनलाल जातियान नाई निवासीगण खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. लटूरलाल आयु 53 वर्ष पुत्र भँवरलाल जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. छोटूलाल आयु 50 वर्ष पुत्र भँवरलाल जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
3. पुष्पाबाई आयु 55 वर्ष पुत्री भँवरलाल पत्नी कल्याण जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान हाल निवासी— मुवाखेड़ा तहसील इकलेरा जिला झालावाड़ (राज0)
4. कैलाबाई आयु 60 वर्ष पुत्री भँवरलाल पत्नी छीतरलाल जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान हाल निवासी— खरखड़ा आसन पो0 कुन्जेड़ तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
5. राधेश्याम आयु 53 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
6. घींसीबाई आयु 56 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी भैरूलाल निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू हाल निवासी पचोला पो0 कामखेड़ा तहसील इकलेरा जिला झालावाड़ (राज0)
7. दिनेश आयु 25 वर्ष पुत्र स्व0 सत्यनारायण जाति नाई निवासी बड़वा तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)
8. विष्णु आयु 22 वर्ष पुत्र स्व0 सत्यनारायण जाति नाई निवासी बड़वा तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)
9. चन्द्रप्रकाश आयु 48 वर्ष पुत्र हीरा जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
10. लीलावती आयु 60 वर्ष पुत्री हीरा पत्नी प्रभूलाल जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान हाल बहादूरगंज पो0 चरड़ाना तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
11. बनारसी बाई आयु 58 वर्ष पुत्री हीरा पत्नी द्वारकीलाल जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान हाल निवासी—अमलावदा हाली तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)
12. कलावती आयु 62 वर्ष पुत्री हीरा पत्नी प्रेमनारायण जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान हाल निवासी— प्रेमनगर प्रथम कोटा (राज0)
13. मोत्याबाई आयु 80 वर्ष पत्नी हीरा जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
14. देवकिशन आयु 35 वर्ष पुत्र स्व0 देवीशंकर जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

15. सोनू आयु 32 वर्ष पुत्र स्व० देवीशंकर जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
16. रामस्वरूप आयु 56 वर्ष पुत्र गोपीलाल जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
17. कमलाबाई आयु 65 वर्ष पुत्री गोपीलाल पत्नी रामभरोस जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान हाल बमोरी पो० बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
18. भूलीबाई आयु 62 वर्ष पुत्री गोपीलाल पत्नी गोबरीलाल जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान हाल बड़ा सारोला तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज०)
19. चन्दाबाई आयु 60 वर्ष पुत्री गोपीलाल पत्नी रामस्वरूप जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू हाल ग्राम पंचायत भवन के पास सांगोद जिला कोटा (राज०)
20. मनोहर बाई आयु 58 वर्ष पुत्री गोपीलाल पत्नी अशोक कुमार जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान हाल कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा (राज०)
21. बजरंगलाल आयु 50 वर्ष पुत्र गणेश
22. सियाराम आयु 46 वर्ष पुत्र गणेश
23. राजमल आयु 42 वर्ष पुत्र गणेश जातियान नाई निवासीगण खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
24. गायत्रीबाई आयु 38 वर्ष पुत्री गणेश पत्नी रमेशचन्द जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू हाल पीपल्या तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)
25. कन्याबाई आयु 70 वर्ष पत्नी स्व० गणेश जाति नाई निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
26. छीतरलाल आयु 60 वर्ष पुत्र लोडूजी जाति नाई निवासी काचरी पो० काचरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
27. देवकिशन आयु 55 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति ब्राहमण निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
28. शाखा प्रबन्धक महोदय सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बारां जिला बारां
29. शाखा प्रबन्धक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
30. राजस्थान सरकार जर्ने तहसीलदार महोदय अटरू तहसील अटरू जिला बारां

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 (ए), 188 आर०टी०एक्ट०

उपस्थिति :-

वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री अमर सिंह कुशवाह। प्रति. क्रम 1, 2, 4, 5, 9, 10, 13 से 17
21 से 23, 25

श्री यशद्युमन सिंह प्रति क्रम 12, 28

श्री हरिशचन्द हाडा प्रति क्रम 29

मिनजानित मुदई रूबरू

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम खरखड़ा रामलोथान की खाता संख्या 348 ख०नं० 234/1215 रकबा 0.48 है०, ख०नं० 236 रकबा 1.10 है०, ख०नं० 238 रकबा 1.60 है० कुल कित्ता 3 रकबा 3.18 है० पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

ग्राम खरखडा रामलोथान के ख०नं० 72, 103, 104 व 105 कुल किता 4 कुल रकबा 1.90 है० वादीगण को हिस्सा 2/5 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी न करें।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज०)

निज₹..... मुबालिक₹..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह₹.....
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक₹..... अदा करूंगा।
मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 07.03.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज०)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत०
महन्ताना वकील	मुत०	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज०)